

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

आदेश

संख्या :- वनभूमि-49/2022...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक.....

श्री मुरारी कुमार (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत खम्हार मौजा के खाता संख्या-124, 165, 172, खेसरा संख्या-2903, 2904, 2905, थाना संख्या-216, थाना-मुसफ्फील में SH-55 रोसरा-बेगूसराय पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.018 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक-FP/BR/Approach/153553/2022/624, दिनांक-18.10.2022 द्वारा सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गयी है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक-FC-21, दिनांक-09.11.2022 द्वारा स्टेज-1 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने के उपरांत विभागीय पत्रांक-93(ई०), दिनांक-30.01.2023 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से अंतिम स्वीकृति का अनुरोध किया गया था।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक-FP/BR/Approach/153553/2022/914, दिनांक-16.02.2023 द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत खम्हार मौजा के खाता संख्या- 124, 165, 172, खेसरा संख्या-2903, 2904, 2905, थाना संख्या-216, थाना-मुसफ्फील में SH-55 रोसरा-बेगूसराय पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.018 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गयी है :-

1. Legal status of forest land diverted shall remain unchanged.
2. **Compensatory afforestation** : The State Forest Department shall plant 100 numbers of trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably in the vicinity of the project site. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4. Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake by involving local community, afforestation measure in the blanks within the lease area, as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the concerned DFO at the project cost.
5. The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by the Ministry of Road Transport and Highways and communicated vide Ministry's letter No.11-268/2014-FC dated-11.07.2014:-
 - (a) Fuel station should generally be a part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms, shops etc. Proper planning should be done by the user agency, in advance, for construction of such complexes along the highways so that destruction of road side forest is minimized.

- (b) Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations.
 - (c) Entire periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light crown trees which will maintain greenery without compromising with the functional space requirement.
 - (d) Suitable plantation should be raised by the user agency along the approach road, separator island and other vacant areas in addition to the compensatory afforestation required to be raised as per guidelines.
6. The layout plan of the proposed diversion of the forest land shall not be changed without prior approval of Minister of Environment, Forest & Climate Change.
 7. (a) The diverted forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
(b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the existence of the petroleum retail outlet and requirement of land for access road.
(c) The diverted forest land shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Minister of Environment, Forest & Climate Change.
 8. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provision of all the Acts, Rules Regulation, Guidelines, Hon'ble Court order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time in force, as applicable to the project.
 9. Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt. 29.01.2018.
 10. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.

अतः तदालोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-F.N.7-23/2012-FC दिनांक-24.07.2013 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक-FP/BR/Approach/153553/2022/914, दिनांक-16.02.2023 द्वारा बेगूसराय जिलान्तर्गत खम्हार मौजा के खाता संख्या- 124, 165, 172, खेसरा संख्या-2903, 2904, 2905, थाना संख्या-216, थाना-मुसफ्फील में SH-55 रोसरा-बेगूसराय पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.018 हे० वन भूमि अपयोजन की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति के पत्र को समेकित रूप से स्थानीय समाचार पत्र (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) में अक्षरशः प्रकाशित कराना होगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति के पत्र की एक प्रति को स्थानीय निकाय प्रधान कार्यालय पट्ट पर 30 दिनों के लिए प्रदर्शनार्थ, निकाय प्रधान को सौपना होगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा उक्त 0.018 हे० वन भूमि बेगूसराय जिलान्तर्गत खम्हार मौजा के खाता संख्या- 124, 165, 172, खेसरा संख्या-2903, 2904, 2905, थाना संख्या-216, थाना-मुसफ्फील में SH-55 रोसरा-बेगूसराय पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट

खोलने के लिए पहुँच पथ के निर्माण हेतु अंतिम रूप से विमुक्त करते हुए इसे अभिलेख में दर्ज किया जायेगा तथा इसका सीमांकन कराया जायेगा। तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन सरकार को एक नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त अंकित शर्तों के अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में या अपयोजित होने वाली वन भूमि पर अन्य गैर वानिकी कार्य करते हुए पाए जाने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह अधिकार होगा कि वन भूमि पर किए जाने वाले अन्य गैर वानिकी कार्य को तत्काल बंद कराते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कानूनी कार्रवाई के उपरांत वन भूमि अपयोजन का यह आदेश रद्द करते हुए/वापस लेते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तदनुसार संसूचित कर दिया जाएगा।

ह०/-

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक : वनभूमि-49/2022... 226(5) प० व० ज० प०, पटना-15, दिनांक... 24/02/23

प्रतिलिपि :- सहायक वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, FC डिविजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची-834002/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची से प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र के साथ सूचनार्थ, कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शनार्थ (30 दिनों तक) प्रेषित।

श्री मुरारी कुमार, पिता-श्री राम चरित्र सिंह, ग्राम+पोस्ट-खम्हार, जिला-बेगूसराय, पिन-851131 को सूचनार्थ तथा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित सहायक, गार्ड फाईल में संधारण/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

24/3/23

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव